फर्द अहकाम

राधा मोहन वगैरह बनाम सरकार वगैरह
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
59/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पत्रावली प्रतिउत्तर रिपोर्ट हेतु दिनांक 24/9/21 को पेश हो [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
24/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। अप्रार्थी अनुप. अप्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया, लेकिन अनुप.। अतः अप्रार्थी नं. 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 04/10/21 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
04/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का अवलोकन किया गया मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

सधारीलाल वगैरह बनाम सरकार वगैरह

केस संख्या 59/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा०का० अधि० स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज हस्ताक्षर किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार तामील होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।
		उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

तारीख फैसला
30.09.2024

मिसल नं.
59/2021

राधामोहन पुत्र स्व0 रामगोपाल
विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामगोपाल
सरजू देवी बेवा रामगोपाल
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
शंकरलाल पुत्र छोटू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री हनुमान शर्मा – वकील प्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् तरमीम दुरूस्तीकरण

–:निर्णय:–

प्राथीगण ने जरिये अधिवक्ता के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 की भूमि ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 847 शामलाती थी जिसका पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति राजीनामा के आधार पर विभाजन दिनांक 05.06.1993 को हो गया था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 सहखातेदार थे जिनके मध्य उक्त खसरा नम्बर 847 का विभाजन आपसी सहमति से हुआ था तथा विभाजन पश्चात आपसी सहमति से हुआ था तथा विभाजन पश्चात उक्त खसरा नमबर 847 के नये खसरा नम्बर 847/1 एवं 847/2 किये गये जिनमें 847/1 का खातेदार प्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता तथा प्रार्थी सं0 3 के पति रामगोपाल के नाम दर्ज किया गया और खसरा नम्बर 847/2 अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया और उसी के अनुसार नक्शा तरमीम किया गया। दौराने भूप्रबंधक विभाग द्वारा खसरा नम्बर 847/1 एवं 847/2 के नये खसरा नम्बर कायम किये गये जिनमें 847/1 के नये खसरा नमबर 69 एवं 68 बने जो प्रार्थीगणों के है तथा खसरा नम्बर 847/2 के नये खसरा नम्बर 65, 67 बनाये गये जो कि अप्रार्थी सं0 2 के है। गत खसरा नम्बर का हाल खसरा नम्बर कायम करते समय राजस्व रिकार्ड में रकबा तो सही दर्ज कर दिया गया लेकिन राजस्व नक्शें में तरमीम की गई वो गत राजस्व नक्शे में तरमीम की गई वो गत राजस्व नक्शें के मुताबिक नही की गई जो नवीन नक्शा संन 2002–03 में बनाया गया उसमें सीमाये पुराने नक्शे के अनुसार नही कर गलत बना दिया गया तथा नये नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि कम कर दी गई। इस प्रकार भू प्रबंधक विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नया नक्शा प्रार्थीगण की भूमि कम करते हुये गलत बनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

2/2

जिसे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक एवं उचित है। वर्तमान खसरा नम्बर 69, 68 स्थित ग्राम नयाबास पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार नवीन नक्शें को पुराने को पुराने नक्शें के खसरा नम्बर 847/1, 847/2 व 847 जो कि विभाजन के समय तैयार हुआ था के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प जमवारामगढ के लिए उक्त पत्रावली पटवारी हल्का जमवारामगढ को रिपोर्ट पेश करने हेतु दी गई। किन्तु पटवारी हल्का जमवारामगढ द्वारा उक्त पत्रावली न्यायालय में जमा नही करवाई जाने पर प्रार्थी से दस्तावेज लेकर व प्रार्थना पत्र की फोटो प्रतियॉं लेकर. दास्त पत्रावली तैयार की गई। प्राप्त फोटोप्रतियों को प्रमाणित कर पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर.टी./2024/4471 दिनांक 29.08.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0. 97है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.01है0, व खसरा नम्बर 69 रकबा 0.97है0 ग्राम नयाबास में दर्ज रिकार्ड है। जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की अपील सं0 03/2022 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर/टी.ए./7155/2022 विनोद कुमार वगै0 बनाम शंकर वगै0 आर0ए0ए0 मु0नं0 290/2022 उनवान राधा मोहन बनाम सरकार का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित है। मुताबिक मिलान क्षेत्र0 के खसरा नम्बर 65 के गत खसरा नम्बर 847/2 मिन. ख0न0 67 के गत ख0न0 847/2 मि0 व ख0न0 68 के गत खसरा नम्बर 847/1 मि. एवं खसरा नम्बर 69 के गत खसरा नम्बर 847/1 मि0 थें। उक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहखातेदारी भूमि थी जिसमें प्रार्थी को तत्समय ख0न0 847/1 एवं अप्रार्थी को खसरा नम्बर 847/2 बंटवारा अनुसार दिया गया था। सहमति बंटवारे की पत्रावली संलग्न है। बंटवारे की पत्रावली व संलग्न प्रमाणित प्रस्तावित नक्शें जो तकासमा दिखाया गया है एवं वर्तमान नक्शें में तरमीम की हुई है। दोनों में अन्तर है मौके पर प्रार्थी तकासमा पत्रावली एवं पूर्व नक्शा के अनुसार काबिज है। प्रार्थी का पूर्व नक्शानुसार व प्रस्तावित तकासमा अनुसार नक्शा व तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नयाबास, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 69, 68 में दर्ज हिस्से अनुसार नवीन नक्शे को पुराने नक्शें के खसरा नम्बर 847/1, 847/2 व 847 को पूर्व नक्शा अनुसार व प्रस्तावित तकासमा अनुसार नवशा व तरमीम दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़